POLICE COMMISSIONERATE PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 19.09.2025

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाठी व 01 लोहे की रॉड बरामद

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2025 धारा 191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस के 02 वांछित अभियुक्त 1.अकबर अली उर्फ मुन्नन पुत्र इमामुद्दीन उर्फ नच्चे निवासी ग्राम सलैया खुर्द थाना खीरी जनपद प्रयागराज 2.ओलमाय मो0 उर्फ मुन्नू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम कोयलरिहा थाना कोरांव जनपद प्रयागराज को थाना खीरी क्षेत्र के सलैया खुर्द से रायपुरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अकबर अली उर्फ मुन्नन उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाठी व 01 लोहे की रॉड बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-16.09.2025 को आवेदक अनवर अली पुत्र स्व0 बिसमिल्ला अली निवासी ग्राम झड़ियाही थाना खीरी जनपद प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर आवेदक के पुत्र को जान से मारने की नियत से लाइसेन्सी गन के बट एवं लोहे की राड से सिर पर मारकर घायल कर दिया तथा शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 132/2025 धारा 191(3)/190/109(1) /115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के समय से ही संबंधित अभियुक्तगण की लगातार तलाश व सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना खीरी क्षेत्र के सलैया खुर्द से रायपुरी जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्त 1.अकबर अली उर्फ मुन्नन 2.ओलमाय मो0 उर्फ मुन्नू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग परिवार के कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी रिश्तेदारी जनपद मिर्जापुर से दावत खाकर लौटे थे तो पता चला कि अनवर अली व उसका परिवार मेरे घर में चढकर गाली गलौज करके गया है। पारिवारिक कलह से दुखी होकर हम लोग गाली गलौज कर रहे थे, इतने में ही अनवर का लड़का महताब आकर हम लोग से ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा तथा हमें मारने को दौड़ा तब हम लोगों में हाथापाई हो गई। हम लोग ने महताब को लाठी डण्डो व लोहे की रॉड से मारा- पीटा गया जिससे महताब को चोट लग गयी। इतने में ही महताब के परिवार वाले उसका शोर सुनकर वहां आ गये और हमलोग वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अकबर अली उर्फ मुन्नन पुत्र इमामुद्दीन उर्फ नच्चे निवासी ग्राम सलैया खुर्द थाना खीरी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 47 वर्ष।
2. ओलमाय मो0 उर्फ मुन्नू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम कोयलरिहा थाना कोरांव जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 55 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 132/2025 धारा 191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त अकबर अली उर्फ मुन्नन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-62/2023 धारा 427/506 भादवि थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 लाठी व 01 लोहे की रॉड (अभियुक्त अकबर अली उर्फ मुन्नन उपरोक्त के कब्जे से)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. म0उ0नि0 निकिता वर्मा, थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 शशिकान्त, थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 गोरख यादव, थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 बलिराम सिंह, थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना झूंसी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना झूंसी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0-343/2025 धारा 108 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता विमला यादव पत्नी रामकुमार यादव निवासी हवेलिया, शिव मन्दिर थाना झूंसी जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 19.09.2025 को हवेलिया थाना क्षेत्र झूंसी से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

विमला यादव पत्नी रामकुमार यादव निवासी हवेलिया, शिव मन्दिर थाना झूंसी जनपद प्रयागराज उम्र करीब 45 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 343/2025 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयराम, चौकी प्रभारी रहिमापुर, थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अभय कुमार सिंह, थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0का0 सुमन यादव, थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।